**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 138/2024

In

S.B. Criminal Appeal No. 3681/2023

Jeetu @ Jitendra Singh S/o Narayan Singh Rajput, Aged About 21 Years, R/o Nalot, P.s. Thoi, District Sikar (Presently Confined In Central Jail, Bikaner)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Shyam Bihari Gautam |
| For Respondent(s) | : | Mr. Devi Singh, PP<br>Mr. Sidharth Jain for<br>Mr. Gajendra Vyas |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**21/04/2026**

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा **389 सीआर.पी.सी.** के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, क्रम–2, सीकर** द्वारा विशिष्ट सैशन प्रकरण सीआईएस संख्या–**181/2018 बी.टी. नं. (12/2022) राजस्थान राज्य** बनाम **जीतू उर्फ जितेन्द्र व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **02.06.2023** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। वह दिनांक 31.05.2018 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग आठ वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में सहअभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है। पीडिता द्वारा दिये गए बयानों में तात्विक विरोधाभास है। पत्रावली पर अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी उसे दोषसिद्ध किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया गया है। अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ एवं पर्याप्त आधार हैं। अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अतः पीड़िता के बयान तथा प्रकरण के तथ्यों–समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं

25,000—25000/—रूपए **(अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **21.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **जीतू उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /18